

दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

इस पर उमय प्रकाशन द्वारा आपसी सहमति प्राप्त की गई और सहमति के आधार पर अंतिम डिंडी जारी करने का निवेदन किया। हमने उमय प्रकाशन कार्यालय वृद्ध सुनि गई। पूर्व में दिनांक 10/10/19 को जारी भाषात्मक डिंडी का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया कि कहीं गण नवमालिग है और सरपल्लु माता राजेश वरुई विधवा है। यदि शक्तेदारी प्राप्त होने के पश्चात यदि नवमालिग को सरपल्लु माता का ग्रहण आराजी में हिस्सा प्राप्त करने पर उसे वेचन कर पुनः विवाह कर लेके तो दोनों नवमालिग वरुचे अन्याय हो जावेंगे। ऐसी स्थिति में - भाषात्मक में उमय प्रकाशन द्वारा आपसी सहमति के आधार पर अंतिम डिंडी में जारी होने पर दोनों वरुचे कालिग होने तक उचित बदलाव आराजी में प्रारंभ हिस्से पर रशन, दान वेचन आदि नहीं करने। नौदलानि उचित प्रतीत होता है। अतः रशन, दान वेचन का नोट - अंतिम डिंडी जारी की जाने। पत्रवली दिनांक 2/11/20 को पेश हो।

Handwritten signature

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारी (राज.)

21/12/20

पत्रवली पेश हुई। तहसीलदार छबड़ा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त। विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्रकाशन के मध्य प्रथम प्रथक विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र.सं.	नाम शक्तेदार	ख.न.	रकबा	लगाव
1	वसु, लक्ष पुत्र ओमप्रकाश नवमालिग जयें वली सरपल्लु माता राजेश वरुई बेना ओमप्रकाश	5/1	2.06	4.32
	जाति माझी सा. देह रशन SBI (ADB) शाखा छबड़ा	652/1	0.04	0.25
नोट:- वरुचे कालिग होने तक रशन का रशन, दान वेचन आदि न किया जावे।		किताना-2	रकबा 2.10	नीचा 4.57

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारी (राज.)




दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

अतः उपरोक्त विवेचना नुसार विवादित आराजी
यात का पक्ष कारण के मध्य हथक-हथके विभाजन किया
गामर राजस्व रिबाई में अमल दरामद करने हेतु तहसील
दार इवडा को आदेशित किया जाता है तदनुसार
अंतिम डिडी जारी हो। पत्रावली प्रेशल सुभार होकर
बाद तामील तम्मील के दाखिल दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बाघी (राज.)